न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी- श्री जगदीश सिंह आशिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या – 06 / 2023

वादीनीगण — बनाम — प्रतिवादी

वादीनीगण

1. मोहनी पुत्री हीरानाथ उर्फ हरीनाथ
2. शायरदेवी पुत्री हीरानाथ उर्फ हरीनाथ
3. शांता पुत्री हीरानाथ उर्फ हरीनाथ जाति स्वामी निवासी भूंका भगतसिंह तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादी

1. भिखनाथ पुत्र हीरानाथ उर्फ हरीनाथ
2. रूगनाथ पुत्र हीरानाथ उर्फ हरीनाथ जाति स्वामी निवासी मोहिडी
3. गोरखाराम पुत्र आईदानराम उर्फ आदूराम
4. भीखाराम पुत्र सताराम
5. जगमालराम पुत्र सताराम
6. टीकमाराम पुत्र सताराम
7. ठाकराराम पुत्र सताराम
8. तीजोंदेवी पत्नी सताराम
9. थानाराम पुत्र आईदानराम उर्फ आदूराम
10. रूपाराम पुत्र आईदानराम उर्फ आदूराम
11. रावताराम पुत्र सताराम
12. लच्छाराम पुत्र आईदानराम उर्फ आदूराम
13. लुम्बाराम पुत्र वीराराम
14. विरधाराम पुत्र आईदानराम उर्फ आदूराम
15. सोना पुत्र जेहा
16. हनुमानराम पुत्र वीराराम
17. हिमताराम पुत्र आईदानराम उर्फ आदूराम
18. हीराराम पुत्र सताराम जाति कुम्हार निवासी भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी
19. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,40,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 15:03:09 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक – 07.08.2024

1.संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है,कि वादीनीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मुतवफी नथा के वारिसान है। मुतवफी नथा के नाम से पुश्तैनी एवं संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम भूंका भगतसिंह

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 599/1 रकबा 11.6496 हैक्टेयर, खसरा संख्या 494 रकबा 1.0032 हैक्टेयर, खसरा संख्या 599 रकबा 5.5012 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है, जो भूमि वादीनीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 को पैतृक व सहदायिकी सम्पति के रूप में प्राप्त हुई। मृतकनी नथा के फौतगी पर वादग्रस्त भूमि उसके पुत्र हीरा के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। वादग्रस्त भूमि पैतृक खातेदारी की है, पैतृक सम्पति में पुत्र, पुत्री तथा पोते पोती का जन्म से हक व हिस्सा होने से तथा वादग्रस्त पूर्व पुरूष स्व. नाथा से विरासत से प्राप्त हुई है, जिससे वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का जन्म से हक उत्पन्न हो गये। वादग्रस्त भूमि ग्राम भूंका भगतसिंह तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 494 रकबा 1.0032 हैक्टेयर में वादीनीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता हीरा उर्फ हरीनाथ का बहिस्सा बराबर 1/5-1/5 हिस्सा खातेदारी अधिकार का एवं वादग्रस्त भूमि ग्राम भूंका भगतसिंह तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 599/1 रकबा 11.6496 हैक्टेयर व खसरा संख्या 599 रकबा 5.5012 हैक्टेयर में वादीनीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता हीरा उर्फ हरीनाथ का बहिस्सा बराबर 1/6-1/6 हिस्सा खातेदारी अधिकार का था जिसमें से वादीनीगण के पिता हीरा के द्वारा खसरा संख्या 599 व 599/1 में अपने हिस्से से अधिक की भूमि का बैचान प्रतिवादी संख्या 3 से 18 के पूर्वज को कर दिया गया। वादीनीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता हीरा की फौतगी के पश्चात् उक्त वादग्रस्त भूमि का नामांतरकरण वादीनीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खोला जाना था परन्तु नामांतरकरण मात्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खोला गया।. जबकि वादीनीगण स्व. हीरा उर्फ हरीनाथ की जायदा पुत्रीयां व नथा की विधिक उतराधिकारी होने से वादग्रस्त भूमि में खसरा संख्या 494 में 1/5–1/5 हिस्सा तथा खसरा संख्या 599 व खसरा संख्या 599/1 में 1/6–1/6 हिस्सा खातेदारी हक प्राप्ति की अधिकारिणी है। ऐसी स्थिति में मौजा भूंका भगतसिंह तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 494 रकबा 1.0032 हैक्टेयर में वादीनीगण प्रत्येक को 1/5–1/5 हिस्सा एवं वादग्रस्त भूमि ग्राम भूंका भगतसिंह तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 599/1 रकबा 11.6496 हैक्टेयर व खसरा संख्या 599 रकबा 5.5012 हैक्टेयर में वादीगण के पिता हीरा द्वारा अपने 1/6 हिस्से से अधिक बैचान को शुन्य घोषित करते हुए वादीनीगण प्रत्येक को 1/6–1/6 हिस्सा घोषित करवानें हेतु यह वाद पेश किया गया है।

2. वादीनीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादीगण सं. 1 से 18 बावजूद सम्मन तामिल होने एवं सुनवाई हेतु उपस्थिति बाबत पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी उपस्थिति नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवादी अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1[illegible] सरकार उप.।

3. प्रतिवादी सं. 1 से 18 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही [illegible] की आवश्यकता नहीं रही। वादी गवाहान में पी.डब्ल्यू–1 शायरदेवी, पी.डब्ल्यू–[illegible]लाराम, पी. डब्ल्यू–3 रूपदास, के बयानात करवायें गयें। वादी अधिवक्ता की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:03:09 IST
Reason: SelfAttested

...क कलेक्टर
...O सिणधरी

वकील वादीनीगण की बहस सुनी गई थी। वकील वादीनीगण ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में तर्क दिए कि वादीनीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मुतवफी नथा के वारिसान है। मुतवफी नथा के नाम से पुश्तैनी एवं संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम भूंका भगतसिंह तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 599/1 रकबा 11.6496 हैक्टेयर, खसरा संख्या 494 रकबा 1.0032 हैक्टेयर, खसरा संख्या 599 रकबा 5.5012 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। मुतवफी नथा के फौतगी पर वादग्रस्त भूमि उसके पुत्र हीरा के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। वादग्रस्त भूमि पैतृक खातेदारी की है। पैतृक सम्पति में पुत्र, पुत्री तथा पोते पोती का जन्म से हक व हिस्सा होने से तथा वादग्रस्त पूर्व पुरूष स्व. नाथा से विरासत से प्राप्त हुई है, जिससे वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का जन्म से हक उत्पन्न हो गया। जो भूमि वादीनीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 को पैतृक व सहदायिकी सम्पति के रूप में प्राप्त हुई। मुतवफी नथा के फौतगी पर वादग्रस्त भूमि उसके पुत्र हीरा के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई जिससे वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का जन्म से हक उत्पन्न हो गया। वादग्रस्त भूमि ग्राम भूंका भगतसिंह तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 494 रकबा 1.0032 हैक्टेयर में वादीनीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता हीरा उर्फ हरीनाथ का बहिस्सा बराबर 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी अधिकार का एवं वादग्रस्त भूमि ग्राम भूंका भगतसिंह तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 599/1 रकबा 11.6496 हैक्टेयर व खसरा संख्या 599 रकबा 5.5012 हैक्टेयर में वादीनीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता हीरा उर्फ हरीनाथ का बहिस्सा बराबर 1/6–1/6 हिस्सा खातेदारी अधिकार का था जिसमें से वादीनीगण के पिता हीरा के द्वारा खसरा संख्या 599 व 599/1 में अपने हिस्से से अधिक भूमि का बैचान प्रतिवादी संख्या 3 से 18 के पूर्वज को कर दिया गया। वादीनीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता हीरा की फौतगी के पश्चात् उक्त वादग्रस्त भूमि का नामांतरकरण वादीनीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खोला जाना था परन्तु नामांतरकरण मात्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खोला गया। जबकि वादीनीगण स्व. हीरा उर्फ हीरनाथ की जायदा पुत्रीयां व नथा की विधिक उतराधिकारी होने से वादग्रस्त भूमि में खसरा संख्या 494 में 1/5–1/5 हिस्सा तथा खसरा संख्या 599 व खसरा संख्या 599/1 में 1/6–1/6 हिस्सा खातेदारी हक प्राप्ति का अधिकार है। ऐसी स्थिति में मौजा ग्राम भूंका भगतसिंह तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 494 रकबा 1.0032 हैक्टेयर में वादीनीगण प्रत्येक को 1/5–1/5 हिस्सा एवं वादग्रस्त भूमि ग्राम भूंका भगतसिंह तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 599/1 रकबा 11.6496 हैक्टेयर व खसरा संख्या 599 रकबा 5.5012 हैक्टेयर में वादीगण के पिता हीरा द्वारा अपने 1/6 हिस्से से अधिक किये गये बैचान को शुन्य घोषित करते हुए वादीनीगण प्रत्येक को 1/6–1/6 हिस्सा घोषित किया जावे। ऐसी सूरत में वादीनीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

5.लिहाजा वादीनीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार कि[illegible] तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के मौजा ग्राम भूंका भगतसिंह तहसील सिणधरी के खेत [खसरा] संख्या 494 रकबा 1.0032

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:03:09 IST
Reason: SelfAttested

...लक्टर
...णधरी

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 15:03:09 IST
Reason: SelfAttested